न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2018/ 1235 दिनांक –10.5.18

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 ग्राम पंचायत आदर्श चवा जरिये सरपंच श्रीमती कलूदेवी हाल सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श चवा निवासी आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 रिड़मलराम पुत्र पोलाराम वगैराह (कुल 20) तहसील बाड़मेर व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :–67/2018 दिनांक–09.05.2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श चवा व गुल्ले की ~~की~~ नाडिया पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर के आदर्श चवा के खसरा नम्बर 1176/880 रकबा 20.09 बीघा, खसरा नम्बर 1177/880 रकबा 20.00 बीघा किस्म गै.मु.आबादी तथा ग्राम गुल्ले का नाडीया मे स्थित खसरा नम्बर 1291/914 रकबा 5.00 बीघा किस्म गै.मु. आबादी के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2018/ 1236-1240 दिनांक– 10.5.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आदर्श चवा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी सरपंच श्रीमती कलूदेवी हाल सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श चवा निवासी आदर्श चवा बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी रिड़मलराम पुत्र पोलाराम जाति जाट निवासी चवा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner